

कमांक एफ 7-1/2019/32-3 भोपाल,दिनांक १६/१०/2019 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल के अध्यक्ष पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है । पद हेतु आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार है:-

शेक्षणिक योग्यता एवं अनुभव—
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्यावरण से संबंधित विषयों में अधिकृत विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नाकोत्तर उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि (पर्यावरण संबंधी विषय सहित) तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी पन्द्रह वर्षों का व्यवहारिक अनुभव जिसमें सिम्मिलित है औद्योगिक प्रदूषण का उपशमन,जल शोधन, अथवा वायु प्रदूषण का उपशमन अथवा वह राज्य सरकार अथवा सार्वजिनक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय के अंतर्गत ऐसा अधिकारी हो,और जिसमें पैतृक संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो,अथवा पैतृक संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान रूपये 1,41,800—2,14,700/— नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो,और विनिर्दिष्ट योग्यतायें तथा अनुभव रखता हों,अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन में नियमित आधार पर प्रमुख सचिव स्तर का पद धारित करता हों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्र में प्रशासन का ज्ञान व अनुभव रखता हों।

- स्पष्टीकरण—(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से संबंधित डॉक्टरेट उपाधि अथवा पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि वांछनीय अर्हता होगी ।
 - (2) राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक निकाय में कार्यरत अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशन समझा जाएगा।
 - (3) अध्यक्ष हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता एवं अक्षुण्ण निष्ठा धारक होगा,जिसका अपने पूर्व नियोजन और हितों से टकराव की संभावना न हो ।

आयु-सीमा-

अध्यक्ष पद के नामनिर्देशन के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 62 वर्ष होगी ।

वेतनमान-

अध्यक्ष वेतनमान रूपये 1,82,200–2,24,400 / –सहित इस पर 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा। विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त अध्यक्ष निम्नलिखित का पात्र होगा–

मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता,परंतु जहां अध्यक्ष को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आवास का आवंटन किया जाता है,वहां वह मकान किराया भत्ते का हकदार नहीं होगा और यथा अनुज्ञेय / अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा । अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बाबत् मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को यथा अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता,चिकित्सा सुविधाएं जो मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है । भत्तों,छुट्टी,कार्यभार ग्रहण करने का समय,कार्यभार ग्रहण समय के वेतन,भविष्य निध,उपादान,अधिवार्षिकी आयु,सेवा निवृत्ति लाभ और सेवा की अन्य शर्तो के विषय में अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्त ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो तत्समय उन स्थानों पर कार्यरत तत्समय वेतनमान वाले अधिकारियों को लागू है । कार्यकाल—

अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिये पद धारण करेगा । एक अतिरिक्त अवधि के लिए छह वर्ष की अधिकतम अवधि तक पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

आवेदन प्राप्ति स्थल-

आवेदक को अपना बॉयो—डॉटा पूर्ण जानकारी सहित विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन में निम्न पते पर प्रस्तुत करना होगा—

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, बल्लभ भवन न्यू विंग—2, द्वितीय तल,मंत्रालय, कक्ष कमांक 234—ए, मध्यप्रदेश भोपाल—462004

(एन.ए.खान) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH ENVIRONMENT DEPARTMENT VALLABH BHAVAN MANTRALAY,BHOPAL ADVERTISEMENT

No. F 7-1/2019/32-3

Bhopal, Dated 16/10/2019

Application are invited for appoinment to the post of Chairman of Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal.

Qualification & Experience-

Master's Degree in Science relating to Environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to environment from a recognised University or Institute and fifteen year's practical experience relating to the Environment Protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices, or He is an officer under State Government or Public Sector undertaking or a University or autonomous body or statutory body and-holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department or has three years of regular service in the grade rendered after appoinmnet, thereto on regular basis in the Pay-Scale(Rs. 1,41,800-2,14,700) in the parent cadre or department and possesses the qualifications and experience specified or has been in All India Service, holding the post in the rank of Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh,on regular basis and has Knowledge and adequate experience in administering institutions dealing with matters of environment protection.

Explanation

- (1) Doctor's Degree in Science relating to Environment or Master's Degree in engineering in a discipline relating to environment from a recognized University or institute shall be desirable qualification.
- (2) An officer working under the State Government or a public sector undertaking or a university or an autonomous body or statutory body selected for nomination as the Chairman shall be considered for nomination as the Chairman on deputation basis.
- (3) The person to be nominated as Chairman shall be of outstanding merit and impeccable integrity with no possibility of conflict of interest between his earlier employment and in holding the charge of the post of Chairman.

Age-Limit-

The maximum age limit for nomination as Chairman shall be not exceeding 62 years as on the last date for the receipt of applications.

Pay-Scale-

The Chairman shall receive pay in the Pay-Scale of (Rs. 1,82,200-2,24,400/-) with an annual increment at the rate of three percent. In addition, the Chairman shall be entitled to a city compensatory allowance and house rent allowence as are admissible to a Principal Secretary to the Madhya Pradesh, provided that where the Chairman is Government of allotted an accommodation by the State Government, he shall not be entitled to house rent allowence and shall be required to pay a licence fee as applicable. The travelling allowence and daily allowence, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as Chairman, at the rates as permissible in the case of a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh. The Medical facilities as are admissible to a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh. The other conditions of service of the Chairman in the matters allowences, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulation as are for the time

being applicable to officers belonging to the corresponding pay-scale stationed at those places.

Tenure-

The Chairman will hold the post for a period of three years or till he/she attains the age of 65 year, whichever is earlier and can be renominated only for one additional term with maximum tenure of six years in total subject to the maximum age of 65 years.

Applications-

Candidates shall apply with full particulars and curriculum vitac to reach the following address before the expiry of 30 Days from the date of this advertisement.

Principal Secretary,
Govt. Of M.P.
Environment Department
Vallabh Bhavan,New Wing-2,I I Floor,
Room No. 234-A
Mantralya,Bhopal (M.P.)

(N.A.Khan)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Environment Department

मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय //संशोधन//

भोपाल, दिनांक अक्टूबर,2019

क्रमांक एफ 7–1/2019/32–3– मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी की गई है । उक्त जारी विज्ञप्ति में आवेदन प्राप्ति स्थल प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पर्यावरण विभाग,बल्लभ भवन न्यू विंग–2,द्वितीय तल,मंत्रालय,कक्ष क्रमांक 234–ए,मध्यप्रदेश भोपाल अंकित है,के स्थान पर अब आवेदन पत्र निम्नलिखित संशोधित पते पर आमंत्रित किये जायेगें:–

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
कक्ष कमांक-एफ 133
बल्लभ भवन न्यू विंग-3,
प्रथम तल,मंत्रालय,

(एन.ए.खान) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग भोपाल,दिनांक १५ अक्टूबर,2019

कमांक एफ 7-1/2019/32-3 प्रतिलिपिः

संयुक्त संचालक (विज्ञापन),जनसंपर्क संचालनालय,बाणगंगा रोड,भोपाल की ओर उनके आवक कमांक 77360 दिनांक 21/10/2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त संशोधन को राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कर अवगत कराने का कृपया कष्ट करें।

जपसचिव मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग